# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 12/2022 बउनवानी हरिप्रसाद बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी–क्वार्टर नम्बर 86,टाईप तृतीय, जीएसटी कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर

**GCMS No-2022/12** **On line Appeal No-321415807298852**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **08.02.2022** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.1.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– |

1- Documents/map of kuwa (well) rasta that waw approved by tehsildar in past time as submitted by late shri mangilal S/O late shri sriniwas-- khata no 4 khasara no 64 village neendarda tehile sawai madhopur

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रसद/635 दिनांक 3.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2021 के बिन्दु संख्या 1 की कुल 2 पृष्ठो की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/भू.अ./सू.का.अ./2022/634 दिनांक 3.2.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 09.1.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना (कुल 2 पृष्ठों की ) लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिनियम की तय समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों में वांछित सूचनाऐं अधिनियम की तय समय सीमा मे उपलब्ध करवायी जाकर प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर